



UNITED NATIONS  
HUMAN RIGHTS COUNCIL

## भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) द्वारा पड़ताल

जिनीवा (4 नवम्बर 2022) – संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review) कार्य समूह द्वारा गुरुवार, 10 नवम्बर 2022 को चौथी बार, भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी।

इस बैठक का वैबकास्ट प्रसारण [यहाँ](#) पर देखा जा सकेगा।

भारत उन सदस्य देशों में है, जिनकी मानवाधिकार रिकॉर्ड समीक्षा, यूपीआर कार्य समूह, 7 से 18 नवम्बर तक आयोजित हो रहे सत्र के दौरान करेगा।

इसके साथ ही यूपीआर का चौथा प्रक्रिया चक्र आरम्भ हो जाएगा।

भारत की [पहली, दूसरी व तीसरी यूपीआर समीक्षाएँ](#) क्रमशः अप्रैल 2008, मई 2012 और मई 2017 में की गई थीं।

ये समीक्षाएँ इन दस्तावेजों पर आधारित हैं:

- 1) राष्ट्रीय रिपोर्ट – ये सूचना वो सदस्य देश उपलब्ध कराता है, जिसकी समीक्षा की जा रही हो;
- 2) स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों व समूहों (विशेष प्रक्रियाएँ), मानवाधिकार संधि निकाय व अन्य यूएन संस्थाओं की रिपोर्टों में उल्लिखित जानकारी;
- 3) अन्य हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ, क्षेत्रीय संगठन व नागरिक समाज समूह हैं।

10 नवम्बर को भारत की समीक्षा के लिये आधार प्रदान करने वाली ये तीन रिपोर्टें [यहाँ](#) देखी जा सकती हैं।

स्थल: कक्ष - 20, पैले दी नेत्सियों (Palais des Nations), जिनीवा

समय व दिनांक: 14.30 – 18.00, गुरुवार, 10 नवम्बर 2022 (जिनीवा समय, जीएमटी + 1 घंटा)

यूपीआर एक अनूठी प्रक्रिया है, जिसमें सभी 193 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आवधिक समीक्षा की जाती है।

इसकी पहली बैठक अप्रैल 2008 में आयोजित की गई और उसके बाद से अभी तक सभी 193 यूएन सदस्य देशों की यूपीआर की पहली, दूसरी व तीसरी प्रक्रिया चक्र के तहत तीन बार समीक्षा हो चुकी है।

चौथे यूपीआर प्रक्रिया चक्र के दौरान, सदस्य देशों से यह स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा है कि अतीत की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत जिन अनुशंसाओं के अनुरूप क़दम उठाने का संकल्प लिया गया था, उन्होंने उन संकल्पों के पालन में कौन से क़दम उठाए हैं।

साथ ही, देश में हाल के समय में मानवाधिकारों के मामले में घटनाक्रम को भी रेखांकित किया जाएगा।

महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

भारत की समीक्षा का दायित्व इन तीन देशों के प्रतिनिधि, रैपोर्टर तिकड़ी पर होगा: सूडान, नेपाल और नैदरलैंड्स

इस सत्र का वैबकास्ट यहाँ उपलब्ध होगा: <http://webtv.un.org>

वक्ताओं की सूची और भारत की समीक्षा के दौरान उल्लिखित सभी उपलब्ध दस्तावेज़ [यूपीआर एक्स्ट्रानेट](#) पर प्रकाशित किये जाएंगे।

यूपीआर वर्किंग समूह द्वारा भारत के लिये जारी अनुशंसाएँ, 16 नवम्बर को 15.30 बजे पारित किये जाने का कार्यक्रम है।

समीक्षा के दौरान वर्किंग समूह द्वारा जारी की गई अनुशंसाओं पर, सदस्य देश द्वारा अपना मत प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की जा सकती है।

समाप्त

अधिक जानकारी और मीडिया सम्बन्धी अनुरोध के लिये, सम्पर्क कीजिये: रोलैंडो गोमेज़, मानवाधिकार परिषद, मीडिया अधिकारी: [rolando.gomez@un.org](mailto:rolando.gomez@un.org),

मैथ्यू ब्राउन, मानवाधिकार परिषद जनसूचना अधिकारी: [matthew.brown@un.org](mailto:matthew.brown@un.org),

पास्कल सिम, मानवाधिकार परिषद जनसूचना अधिकारी: [simp@un.org](mailto:simp@un.org)

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा पर और जानकारी के लिये यहाँ क्लिक करें: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main>

यूएन मानवाधिकार परिषद को सोशल मीडिया पर फ़ॉलो करें: [Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [Instagram](#)